

केलाराचन्द्र शर्मा v/s राजा पंचायत समिती


आज्ञा विस्तृत रूप से
2025/520 (0N)

दिनांक
आज्ञा या
कार्यवाही

प्रार्थना पत्र बाबत विज्ञो पर सुन
गया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध
दस्तावेजों का अवलोकन पश्चात् एवं
सा.पत्र बाबत विज्ञो पर वदल के मन्त्र
पश्चात् पते है कि अपीलान्त प्रकरण
में राजीनामा की रूढ से विज्ञो खरवाना
चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत
विज्ञो स्वीकार किया जाता है। उक्त
प्रार्थना पत्र बाबत विज्ञो स्वीकार होने
पर अपील नामान्तरण को स्वीकार
पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो।


उपसुपुंड अधिकारी
बस्ती जिला-उदयपुर